बरेली पुलिस
प्रेस नोट दिनांक 30.08.2025
थाना देवरनियाँ

थाना देवरनियाँ बरेली पुलिस द्वारा वांछित चल रहे 25000 ₹/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को एक तमन्चा, दो जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूटे गये सामान (पीली धातु) के साथ किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.07.2025 समय 18.00 बजे अभियुक्त अशोक पुत्र रामौतार नि0 ग्राम गुलड़िया थाना मीरगंज जिला बरेली हाल निवासी ग्राम धोरेरा माफी, आशुतोष सिटी के पीछे थाना इज्जतनगर, जिला बरेली ने अपने भाई शिवम व रिश्ते के मामा दिनेश उर्फ हरिनन्दन व करन के साथ मिलकर ग्राम बंजरिया जागीर थाना शेरगढ़ से अपने घर जा रहे सुनार से रास्ते में बंजरिया गाँव से 500 मीटर आगे धोरा टाँडा की ओर नकदी व जेवर तथा मोबाईल फोन लूटने की घटना के सम्बन्ध में वादी श्री विनोद कुमार रस्तौगी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना देवरनियाँ पर मु0अ0सं0 320/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा लूट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी देवरनियां के नेतृत्व में थाना देवरनियां बरेली पुलिस द्वारा आज दिनाँक 30.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवरनियाँ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 320/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस में वांछित पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशोक पुत्र रामौतार नि0 ग्राम गुलड़िया थाना मीरगंज जिला बरेली, हाल निवासी ग्राम धोरेरा माफी, आशुतोष सिटी के पीछे थाना इज्जतनगर, जिला बरेली को सड़क पुख्ता वहद ग्राम कनमन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमन्चा व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर व मु0अ0सं0 320/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना देवरनियाँ की घटना में लूटा गया एक ओम पीली धातु बरामद हुआ। अवैध तमन्चा व कारतूसों की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अशोक उपरोक्त के विरूद्ध थाना देवरनियाँ पर मु0अ0सं0 408/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 320/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना देवरनियाँ, जिला बरेली (लूट)।
मु0अ0सं0 408/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना देवरनियाँ, जिला बरेली।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त अशोक पुत्र रामौतार नि0 ग्राम गुलड़िया थाना मीरगंज जिला बरेली हाल निवासी ग्राम धोरेरा माफी आशुतोष सिटी के पीछे थाना इज्जतनगर बरेली का रहने वाला है। पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह बेरोजगार है, खर्च चलाने के लिए करीब डेढ़ महीने पहले इसने अपने भाई शिवम तथा रिश्ते के मामा दिनेश उर्फ हरिनन्दन व करन के साथ मिलकर ग्राम बंजरिया जागीर से अपने घर जा रहे एक शर्राफ से रास्ते में लूटपाट की थी, जिसमें इनको कुछ सोना-चाँदी के पुराने जेवर तथा रूपये मिले थे। सुनार का मोबाईल फोन भी इनके द्वारा छीना गया था, जिसे आगे जाकर नहर में फेंक दिया था। आज जो ओम बरामद हुआ है, यह उसी लूट की घटना से सम्बन्धित है। अभियुक्त अशोक के मामा दिनेश ने उसे बँटवारे में ओम व दो हजार रूपये नकद दिये थे। बँटवारे में मिले रूपये इसके द्वारा खर्च हो गये हैं। मो0नं0 के बारे में पूछा गया तो बताया कि वह मोबाईल नहीं चलाता है । ये दोनो भाई तथा इसका मामा दिनेश व करन लूटपाट कर मिले पैसों से जीवन यापन कर अपने शौक पूरे करते हैं। अभियुक्त अशोक के मामा दिनेश तथा भाई शिवम को पहले ही पुलिस द्वारा जेल भेजा गया है तथा मामा करन हाजिर होकर जेल चला गया है। अभियुक्त अशोक उनकी जमानत कराने के लिए पैसों का इन्तजाम करने में लगा हुआ था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. अशोक पुत्र रामौतार नि0 ग्राम गुलड़िया थाना मीरगंज जिला बरेली हाल निवासी ग्राम धोरेरा माफी, आशुतोष सिटी के पीछे थाना इज्जतनगर, जिला बरेली उम्र 20 वर्ष।

<u>बरामदगी -</u>

एक तमन्चा व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
एक लॉकेट ओम (पीली धातु कीमत करीब 10 हजार रूपये)

<u>पुलिस टीम -</u>

1. थानाध्यक्ष श्री आशुतोष द्विवेदी थाना देवरनियाँ ,जिला बरेली ।
2. उ0नि0 श्री सतेन्द्र मोतला मय टीम, प्रभारी सर्विलांस सेल बरेली।
2. व0उ0नि0 नवदीप कुमार थाना देवरनियाँ, जिला बरेली ।
3. उ0नि0 विजय तेवतिया थाना देवरनियाँ, जिला बरेली ।
4. का0 1239 बिट्टू सिंह थाना देवरनियाँ, जिला बरेली ।
5. का0 2908 राजन थाना देवरनियाँ, जिला बरेली ।